

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च 2023 — चैत्र 3, शक 1945

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 मार्च 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-7/आठ-परि./2023. — छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, रायपुर ऑटोमोबाईल डीलर्स एसोसिएशन (आरएडीए) द्वारा आयोजित ऑटो एक्सपो हेतु निर्धारित अवधि (दिनांक 24 मार्च से दिनांक 05 अप्रैल, 2023) में तथा उक्त आटो एक्सपो हेतु निर्धारित स्थल साइंस कॉलेज ग्राउंड, रायपुर से वाहन के विक्रय के उपरांत पंजीयन चिन्ह आवंटन हेतु वाहनों के जीवनकाल कर के भुगतान में, मोटरयान कर में एकमुश्त 50 प्रतिशत छूट प्रदान करती है। यह छूट निम्नलिखित भातों एवं निर्बंधनों के अधीन रहते हुए दी जायेगी, अर्थात् :-

1. यह छूट ऐसे यानों के लिये दी जायेगी, जिन्हें ऐसे ऑटोमोबाईल व्यवसायियों द्वारा विक्रय किया जाना है, जिन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर से, ऑटो एक्सपो स्थल में वाहन विक्रय किये जाने के लिये व्यवसाय प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो। अन्य राज्यों के ऑटोमोबाईल व्यवसायी, ऑटो एक्सपो में यानों का विक्रय नहीं कर सकेंगे। ऑनलाईन डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हेतु पृथक से यूजर आईडी, पासवर्ड लिया जाना अनिवार्य होगा।
2. रायपुर ऑटो एक्सपो से विक्रय किये गये यानों का पंजीयन केवल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रायपुर में कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. ऑटो एक्सपो में विक्रय किये जाने वाले प्रत्येक वाहन के जीवनकाल कर का भुगतान, ऑटो एक्सपो अवधि में एकमुश्त किया जायेगा। यदि कर का भुगतान ऑटो एक्सपो अवधि के बाद किया जाता है, तो कर में छूट नहीं दी जायेगी। यदि आटो एक्सपो में विक्रय तिथि से, पंजीयन हेतु पूर्ण दस्तावेज, सात दिवस के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो कर में छूट की पात्रता नहीं होगी, जिसके फलस्वरूप कर में अंतर की राशि, शास्ति एवं ब्याज देय होगा।
4. आयोजित ऑटो एक्सपो में केवल प्रतिभागी पंजीकृत व्यवसायी के द्वारा विक्रय किये गये वाहनों पर कर में छूट दी जायेगी। आटो एक्सपो में कर में छूट, प्रतिभागी ऑटोमोबाईल व्यवसायी के द्वारा वाहन पंजीयन चिन्ह आवंटित करने पर ही प्राप्त होगी।
5. कर की गणना, वाहन निर्माता द्वारा निर्धारित मूल्य पर की जायेगी, जिसमें निर्माण लागत और विभिन्न कर एवं उस पर लागू उपकर सम्मिलित होगी। व्यवसायी द्वारा दिये गये नगद अथवा व्यवसायिक छूट में, कर भुगतान की छूट नहीं रहेगी।

6. प्रतिभागी व्यवसायी, आटो एक्सपो में विक्रय किये जाने वाले स्टॉक की सूची परिवहन आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायेगा। इसके साथ ही विक्रय के पश्चात् वाहनों का आटो एक्सपो स्थल में डिलीवरी के पूर्व भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
7. आटो एक्सपो में विक्रय किये गये वाहनों हेतु प्रतिभागी व्यवसायियों द्वारा 'गेटपास' जारी करने की व्यवस्था की जायेगी।
8. विक्रय से पूर्व वाहनों का परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा मॉडल का अनुमोदन कराना प्रतिभागी व्यवसायी के लिए अनिवार्य होगा।
9. यदि प्रतिभागी व्यवसायी द्वारा आड़मान/भाड़ा करार के साथ वाहन विक्रय की जाती है, तो संबंधित वित्त पोषक का वैध व्यापार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. एचएसआरपी प्लेट को लगाने हेतु व्यवसायी द्वारा वाहन खरीददार से कोई अतिरिक्त या वस्तुबद्ध लागत प्रभारित नहीं की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, सचिव.

Atal Nagar, the 23rd March 2023

NOTIFICATION

No. F 5-7/VIII-Trams./2023. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, provides in lump sum exemption of 50 percent motor vehicle tax on payment of lifetime tax for allotment of registration mark after sale of vehicles from Science College Ground, Raipur, the site designated for said Auto Expo only for the vehicle sold in the Auto Expo organized by Raipur Automobile Dealer Association (RADA) in the stipulated period of the Auto Expo (from March 24 to April 05, 2023). This relaxation will be given subject to the following conditions and restrictions, namely :-

1. This exemption will be given for such vehicles, which are sold by such automobile dealers who have obtained a trade certificate from the Regional Transport Office, Raipur, for selling vehicles at the Auto Expo site. Automobile traders from other States, may not be able to sell vehicles in the Auto Expo. Separate user ID, password will be mandatory for online dealer point registration process.
2. It will be mandatory to register the vehicles sold from Raipur Auto Expo only in the Regional Transport Office, Raipur.
3. Life time tax for each vehicle sold in Auto Expo will be paid in lump sum during the Auto Expo period. If the tax is paid after the Auto Expo period, then tax exemption will not be provided. If the complete documents for registration are not submitted within seven days from the date of sale in Auto Expo, then they will not be eligibility for tax exemption, as a result of which the amount of difference in tax, penalty and interest shall be payable.
4. Tax discount will be given only on the vehicles sold by the participating registered dealers in the organized Auto Expo. Tax exemption in Auto Expo will be valid only on allotment of vehicle registration mark by the participating automobile dealer.
5. The tax will be calculated on the price fixed by the vehicle manufacturer which includes manufacturing cost and various taxes and cess applicable on it. Cash or Trade discount given by the dealer will not be exempt for payment of tax.
6. The participating dealer will provide the list of stock to be sold at the Auto Expo to the office of the Transport Commissioner. Along with this, after sale, physical verification of the vehicles will be mandatory before delivery to the Auto Expo venue.

7. Participating dealer will make arrangements to issue 'gate pass' for the vehicles sold in the Auto Expo.
8. It will be mandatory for the participating dealer to get prior model approval by the Transport Commissioner's Office before selling the vehicle.
9. If the vehicle is sold by the participating dealer with a hypothecation/hire agreement, then it will be mandatory to submit a valid trade certificate from the concerned financier.
10. No additional or itemised cost shall be charged by the dealer from the vehicle buyer for the installation of HSRP plate.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. PRAKASH, Secretary.